




भारतीय  
प्रौद्योगिकी  
संस्थान  
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN  
INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY  
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : दूरभाष (0542) 6702068, 2307004 (उप.कु); 6702076, 2307005 (कार्यालय); फ़ैक्स : 91-542-2368428; ई-मेल: [administration@itbhu.ac.in](mailto:administration@itbhu.ac.in)

कुलसचिव कार्यालय  
(प्रशासन)

Office of the Registrar  
(Administration)

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./3(8-ग)/रा.भा.प्र./सामान्य/560

दिनांक: 05.10.2016  
6

1. समस्त अधिष्ठातागण
2. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक
3. प्रभारी, इकाई/केन्द्र/कार्यालय
4. समस्त आचार्य प्रभारी
5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति
6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया
7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
8. अध्यक्ष, सीनेट लाइब्रेरी समिति
9. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति
10. अध्यक्ष, कक्षा निगरानी समिति (क्लास मॉनीटरिंग कमेटी)
11. मुख्य सलाहकार, जिमखाना
12. उप मुख्य आरक्षाधिकारी
13. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र
14. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
15. इन्चार्ज, प्रथम वर्ष संगणक प्रयोगशाला
16. संयुक्त कुलसचिव
17. समस्त उपकुलसचिव
18. समस्त सहायक कुलसचिव
19. समस्त अनुभाग अधिकारी  
भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)।

विषय— राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश के अंतर्गत आने वाले अभिलेखों के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह अवगत कराना है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित अभिलेख सम्मिलित हैं:

1. ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों
2. ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों
3. ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

इस संदर्भ में मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त अभिलेखों के अनुसार पत्र संख्या—भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./रा.भा.प्र./7(1)/तिमाही रिपोर्ट/525 दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रेषित हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में सामान्य आदेश (General Order) का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (प्रशासन) प्रथम

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./3(8-ख)/रा.भा.प्र./सामान्य/560  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

दिनांक: 05.10.2016  
6

1. निदेशक के निजी सचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) के संकायों/विद्यालयों/विभागों/अनुभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही

**भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)**

**संकाय/विद्यालय/विभाग/अनुभाग/कार्यालय का नाम :**

**1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**

क्रम संख्या	कागजात का विवरण	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	योग
1.	सामान्य आदेश (General Order)			
2.	परिपत्र (Circular)			
3.	अधिसूचना (Notification)			
4.	नियम (Rule)			
5.	ज्ञापन (Memorandum)			
6.	संकल्प (Resolution)			
7.	प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)			
8.	संविदा (Contract)			
9.	निविदा (Tender)			
10.	करार (Agreement)			
11.	लाइसेंस (Licences)			
12.	परमिट (Permit)			
13.	प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative & other Reports)			
14.	संसदीय प्रश्न (Parliamentary Questionnaire)			
		कुल योग		

**2. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम - 5)**

प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिये गए	कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गए

**3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिये गए	कितनों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे
क क्षेत्र से			
ख क्षेत्र से			

'क' क्षेत्र- बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र  
 'ख' क्षेत्र- गुजरात, महाराष्ट्र, और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव, तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र  
 'ग' क्षेत्र- क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए, अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र